मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी 2011 माघ 29, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2011

क्र. एफ-3-4-बत्तीस-09.—यत: मध्यप्रदेश राज्य में नगरों तथा आसपास बढ़ते हुए शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, मध्यप्रदेश सरकार, नगरीय क्षेत्रों में तथा उसके आसपास शहरों के विकास को प्रोन्नत तथा विनियमित करने के लिए नियम बनाना समीचीन समझती है; अतएव, नियमों का प्रारूप मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 2 जुलाई 2010 को प्रकाशित किया जाकर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर समग्र रूप से विचारोपरान्त राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 के साथ पठित धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, निम्नलिखित नियम को अंतिम रूप दिया जाता है.

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र. बि. पू. भु.-04-भोपाल-03-05.

पंजी क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-03-05.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मई 2005—वैशाख 30, शक 1927

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.

(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.

(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग 4 (ग)

अंतिम नियम

जनसंपर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मई 2005

क्र. एफ-4-10-05-जसं-चौबीस.—राज्य शासन, जनसंपर्क विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 6-4-81-प्रका.-24(1), दिनांक 30 मार्च 1982 द्वारा जारी विधान के नियमों, जनसंर्पक विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-6-20-84-प्रका-चौबीस-दिनांक 18 अप्रैल 1985, समसंख्यक, अधिसूचना दिनांक 26 नवम्बर, 1986 एवं संशोधन क्रमांक एफ 11-70-85-जसं-चौबीस, दिनांक 19 सितम्बर 2004 को विलोपित करते हुए, मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निम्नानुसार नियमावली बनाता है :—

1. **नाम**—यह नियम मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम, 2005 कहलायेंगे.

2. **सहायता राशि**—पत्रकारों के कल्याण के लिये शासन द्वारा आवंटित राशि से सहायता इन नियमों के अनुसार दी जायेगी.

3. **परिभाषाएं**—विषय और संदर्भ से यदि अन्य अर्थ न निकलता हो, तो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ वही हैं, जो उनके सामने दर्शाया जा रहा है;

3.1 **शासन**—का अर्थ है मध्यप्रदेश शासन.

3.2 **संचालक**—का अर्थ है संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश.

3.3 **प्रतिनिधि**—का अर्थ है, कोई पत्रकार/संवाददाता/फोटोग्राफर/कैमरामैन जो किसी अशासकीय समाचार एजेन्सी, ब्राड कास्टिंग कंपनी, टेलीविजन चैनल, नेट मीडिया, समाचार पोर्टल आदि का प्रतिनिधि[illegible] हो.

updated on 05/08/2015

3.4 **मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति**—का अर्थ है ऐसी समिति जिसका गठन मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचार प्रतिनिधियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के प्रकरणों में परामर्श देने के लिये किया गया हो.

3.5 **सदस्य**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति में 16 संचार प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क सदस्य एवं संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता प्रभाग के प्रभारी अपर संचालक, जनसंपर्क सदस्य सचिव होंगे. इस प्रकार समिति में कुल 18 सदस्य होंगे. समिति में संचार प्रतिनिधियों का मनोनयन शासन द्वारा इस प्रकार किया जायेगा जिससे प्रदेश के प्रत्येक राजस्व संभाग और संचार माध्यमों का प्रतिनिधित्व हो सके.

3.6 **नियम का क्षेत्र**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता के नियम उन सभी संचार प्रतिनिधियों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश में निवास करते हैं और जिनका कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश है.

3.7 **कार्यकाल**—मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति का कार्यकाल गठन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से दो वर्ष होगा. तथापि ऐसी स्थिति में जबकि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया हो, समिति तब तक कार्य करती रहेगी, जब तक कि नई समिति का गठन नहीं हो जाता.

3.8 **सदस्यता की समाप्ति**—समिति के सदस्यों द्वारा सदस्यता से त्यागपत्र देने, सेवानिवृत्त होने, संबंधित स्थान से स्थानांतरित होने, संबंधित संस्थान से विमुक्त होने अथवा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने अथवा ऐसे अन्य कारणों से जिसे शासन मान्य करे सदस्यता समाप्त हो सकेगी.

3.9 **बैठकें**—समिति की आवश्यकतानुसार एक वर्ष में चार बैठकें (सामान्यत: प्रत्येक तिमाही में एक बैठक) आयोजित की जायेगी.

3.10 **परिवार**—का आशय यथास्थिति आश्रित पति/पत्नी एवं नाबालिग बच्चों से है. समिति की बैठक आयोजित करने की सूचना सात दिन पूर्व जारी की जा सकेगी. आवश्यक होने पर आपातकालीन बैठक 48 घंटे की सूचना पर आयोजित की जा सकेगी.

4. **सहायता की पात्रता**—मध्यप्रदेश के ऐसे संचार प्रतिनिधि, जिन्हें समिति सहायता के लिये पात्र समझती है और उन पर आश्रित परिवार के सदस्य इस निधि से सहायता पाने के पात्र होंगे.

5. **सहायता देने की स्थितियां**—सहायता निम्नलिखित स्थितियों में दी जा सकेगी :—

5.1 कंडिका 3.3 नियम में उल्लिखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित सदस्यों को दीर्घ या गंभीर बीमारी या दुर्घटना में आहत होने पर इलाज के लिये.

5.2 किसी दैवी विपत्ती से पीड़ित होने पर.

5.3 संचार प्रतिनिधि के रूप में मध्यप्रदेश में कम से कम तीस वर्ष की सेवा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद निराश्रित होने पर वृद्धावस्था में विपन्नता के कारण.

5.4 कंडिका 3.3 में उल्लिखित प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाने पर कंडिका 4 के अनुसार यदि उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों की आजीविका का कोई साधन न हो.

6. **सहायता की सीमा**—पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वर्ष में परिवार के एक सदस्य को एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रुपये 20,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध करायी जा सकेगी. किन्तु एक वित्तीय वर्ष में एक परिवार के सदस्यों को अधिकतम रुपये 20,000/- मात्र की ही सहायता राशि स्वीकृति हो सकेगी. सहायता राशि की स्वीकृति की प्रक्रिया इस प्रकार रहेगी :—

6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर रुपये 20,000/- तक की सहायता संचालक जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी.

6.2 संचालक, जनसंपर्क संचालनालय द्वारा समिति की दो बैठकों के बीच के अंतराल, जो तीन माह से अनधिक होगा, में निर्धारित सीमा तक की सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. ऐसे प्रकरण समिति की अगली बैठक में कार्योत्तर अनुमोदन के लिये अनिवार्यत: रखे जायेंगे.

6.3 विशेष परिस्थितियों में, प्रतिनिधि द्वारा आवेदन पत्र एवं अन्य वांछित जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने

updated on 05/08/2015

की स्थिति में, यह समाधान हो जाने पर कि प्रतिनिधि को इलाज के लिये राशि की आवश्यकता है, संचालक, जनसंपर्क द्वारा आवश्यक सहायता राशि स्वीकृत की जा सकेगी. जिसका अनुमोदन समिति की अगली बैठक में लिया जायेगा.

7. **सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया**—

7.1 सहायता प्राप्त करने के लिये निर्धारित प्रपत्र पर संबंधित प्रतिनिधि अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्य को आवेदन करना होगा.

7.2 अशक्त होने के कारण सहायता प्राप्त करने के इच्छुक प्रतिनिधि अथवा आश्रितों को निकट से जानने वाले दो पत्रकार उनकी ओर से आवेदन कर सकेंगे. इस आवेदन पत्र पर क्रियाशील समिति के दो सदस्यों की अनुशंसा आवश्यक होगी.

8. **निर्णय**—प्राप्त आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा अन्तिम होगी और इसे वाद का विषय नहीं बनाया जा सकेगा.

9. **व्याख्या**—इन नियमों की व्याख्या के संबंध में शासन का निर्णय अन्तिम होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. ए. कबीर, उपसचिव.

आर्थिक सहायता का आवेदन पत्र

(मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता नियम के अंतर्गत)

1. आवेदक (प्रतिनिधि) का नाम : .....
2. संस्था का नाम एवं मुख्यालय : .....
3. पद एवं कार्यस्थल : .....
4. निवास का पता : .....
5. दूरभाष क्रमांक : .....
6. प्रतिनिधि की मासिक आय : .....
7. रोगी का नाम तथा आवेदक से संबंध. : .....
8. बीमारी का नाम : .....
9. चिकित्सालय जहां इलाज हो रहा है. : .....
10. इलाज के लिये आवश्यक राशि : रुपये .....मात्र
11. इलाज पर अब तक व्यय की गई राशि. : .....
12. समिति के समाधान के लिये संलग्न किये गये प्रमाणों की सूची. : .....

1

2

3

4

5

प्रमाणित किया जाता है कि दी गई उपर्युक्त जानकारी पूर्णत: सत्य है चिकित्सक के अनुसार कालम 8 में बताई गई बीमारी गंभीर बीमारियों की श्रेणी में आती है. रोगी पूर्णत: मुझ पर आश्रित है तथा उसके आय का कोई स्त्रोत नहीं है. मेरी संस्था में उक्तानुसार रोगी के इलाज के लिये चिकित्सा अग्रिम देने अथवा चिकित्सा प्रतिपूर्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है.

आवेदक के हस्ताक्षर.

प्रति,
संचालक,
जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश
भोपाल.

updated on 05/08/2015

6. **नियम 10.6.**—"आवंटन के प्रदाय में नियम 10.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :—

"नियम 10.6 में प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन 60 प्रतिशत जिलों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान का शेष 40 प्रतिशत शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगा, जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणाएं एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराने के लिये किया जा सकेगा."

शेष विभागीय आदेश क्रमांक एफ 23-15-2004-4-पच्चीस, दिनांक 29 अक्टूबर 2004 यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, अवर सचिव.

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010

नियमों में संशोधन

क्र. एफ 11-22-2006-जसं-चौबीस.—5.1.2 नियम कंडिका क्रमांक 3.3 में उल्लेखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को "प्राणघातक रोगों जैसे केन्सर, हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु सहायता के प्रकरणों में, डीन मेडिकल कालेज, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर पत्रकार कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा ऐसे प्रकरणों में उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

5.2 मीडिया प्रतिनिधियों को प्राकृतिक या आकस्मिक विपत्ति जैसे आगजनी आदि प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. "यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे आगजनी, वाहन दुर्घटना, आकस्मिक रूप से संपत्ति का नुकसान आदि किसी दुर्घटना का शिकार होता है अथवा जनान्दोलनों/दंगों/बाढ़ आदि में समाचार कव्हरेज करते समय पत्रकारों, कैमरामेनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होते है, तो उक्त स्थिति में प्रभावित पत्रकार को पत्रकार कल्याण कोष से अधिकतम राशि रुपये 25,000/-(रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की सहायता मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के पश्चात् दी जा सकेगी".

5.4 "यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसकी कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और नाबालिग बच्चों, को तात्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी. यद्यपि विशेष प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर/अथवा आयुक्त/सचिव जनसंपर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि आदि के संबंध में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे तथापि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो".

6. सहायता की सीमा-पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वित्तीय वर्ष में मीडिया प्रतिनिधि एवं उसके परिवार के सदस्यों को निर्धारित सीमा तक एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी.

6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर सहायता राशि आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क आकस्मिकता की स्थिति में अनुशंसा की प्रत्याशा में सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे.

6.1.1 नियम कण्डिका क्रमांक 5.1. में उल्लिखित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में डीन मेडिकल कालेज, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक, स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर म. प्र. संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकतम रुपये 50,000/- (रुपये पचास हचार मात्र) तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. इसके लिए रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाना हो.

6.1.2 संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने, दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे.

6.1.3 सहायता की राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) से अधिक होने पर संबंधित अस्पताल के डॉक्टर अथवा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट से वास्तविक इलाज का प्राक्कलन (एस्टीमेट) प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित चिकित्सालय के नाम भेजा जायेगा. इसके पूर्व रोगी के भर्ती, दवाएं खरीदी के देयक एवं अन्य जांच के देयक प्रस्तुत करने होंगे.

राकेश श्रीवास्तव, सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रेलवे यात्रा फोटो परिचय-पत्र के लिये घोषणा पत्र

घोषणा-पत्र

मैं (नाम) ---------- (संस्था)----------

में (पद) ---------- पर कार्यरत हूं। मुझे जनसंपर्क विभाग द्वारा राज्य/जिला/तहसील स्तरीय अधिमान्यता प्रदान की गई है। मेरा अधिमान्यता कार्ड क्रंमाक ---------- वर्ष 2009 है।

(2) मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि श्रीमती/श्री ---------- मेरी पत्नी/पति है जिनका मेरे द्वारा सत्यापित फोटो संलग्न है।

(3) मैं यह भी कथन करता/करती हूं कि मेरे द्वारा मीडिया से संबंधित कार्य के लिये संवाददाता के रूप में रेल से रियायती दर पर की गई यात्रा के लिये अपने नियोजक से कोई टी.ए./डी.ए. प्राप्त नही करूगां/करूगीं ।

दिनांक

हस्ताक्षर

नाम ----------

निवास पता ----------

दूरभाष क्रं. ----------

ANNEXURE "A"
Form of Certificate

I hereby certify that Shri/Smt. _____ is a Press Correspondent accredited to the Headquarters of the Government of India or Headquarters of State Government/Union Territory/District of _____ , and recommend that the identity card may be issued on the condition that it will be used by him/her only for journeys for the work as a Press Correspondent.

It is also certified that the cost of journey will be borne by the person concerned and no TA/DA will be claimed from the employer. The Photograph of Shri/Smt. _____ is attested below.

As per undertaking obtained from the above mentioned press correspondent, Shri/Smt._____(Full name) aged_____ is the spouse of the Press correspondent.

Photograph of Press Correspondent (to be attested by the issuing authority)

Authorised Accreditation Officer, Press Information Bureau, Government of India, New Delhi.

Director of Publicity of State Government of _____.

Distt. Public Relations Officer/ Collector of _____ Distt.

_____
Place _____
Date_____

Note:- The certificate is to be signed by (1) The Authorised Accreditation Officer, Press Information Bureau, Government of India, in the case of Correspondents accredited to the Headquarters of Government of India, (2) Director of Publicity, in the case of Correspondents accredited to the Headquarters of State Government/Union Territory and (3) Public Relations Officer/Collector of the concerned District, in the case of Correspondents accredited to the District Headquarters.

Director Public Relations
M.P. Bhopal

Sir,

I intend to apply for Photo Identification Card issued by the Railways. It is requested that a prescribed certificate may be issued in my favour.

I undertake that I shall use the Photo Identification Card issued by the Railways for journeys undertaken by me for work as a journalist. I also undertake that the cost of the journey will be borne by me and no TA/DA will be claimed from my employer(s).

My spouse is Shri/Smt. _____ aged _____ years (D.O.B. _____).

Signature _____

Name_____

PIB Card No._____

Designation_____

Organization_____

Date_____

.....receipt.....

Form for Photo Identity Card received_____dated_____